## कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाऐं, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक फा0( )उरका/रजि/संस्थाऐं/कोटा/ 1452 दिनांक– 1.9.07

श्री [illegible]

[illegible]

[illegible]

विषय:–राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के [illegible] में।

आपने संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 23/कोटा/2007-08 दिनांक 1/9/07 संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4/क/की ओर भी आकृषित कर किया जाता है, जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रति वर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नांकित सूचनाऐं भेजना जरूरी है –

(1) संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिसको सौंपा गया है, उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, मय पते व पेशे की सूचना मय पद के।

(2) एक विवरण पत्र किसी उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि के उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है, के दौरान में हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाता गया हो।

(3) संस्था के नियमों और विनियमों की एक यथास्थिति सही प्रतिलिपि जो शासकीय निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गयी हो;

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय को पहुँच जानी चाहिये।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4/ख/की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर ऐसे अर्थदण्ड होगा जो 500.00 रुपये तक का हो सकता है। तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे अर्थदण्ड से दंडनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिये जिसमें किसी ऐसे अपराध के लिये प्रथम अपराध सिद्ध होने के पश्चात तक जारी रहती है, 50.00 रुपये अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की सूची में या धारा 4 के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों की या उनमें किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जान बूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता या करवाता है तो वह अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थदण्ड से दंडनीय होगा जो 2000.00 रुपये तक का हो सकता है।

नोट:- इस कार्यालय से भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था रजिस्ट्रेशन नं. एवं वर्ष अंकित करें।

संलग्न – [illegible] प्रमाण पत्र

1.9.07

रजिस्ट्रार संस्थाऐं,
कोटा

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक/73/कोटा/2007-08

यह प्रमाणित किया जाता है कि आदर्श गोपेश्वर जन कल्याण समिति कांवरपुरा तह दीगोद जिला-कोटा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा सहित आज दिनांक एक माह सितम्बर सन् दो हजार सात को जारी किया गया।

1.9.07

एम० एल० राठी

रजिस्ट्रार

संस्थाएं, कोटा (राज०)

संस्थाऐं, कोटा (राजस्थान)

संस्थाएं कोटा राजस्थान